अपर जिलाधिकारी, हरिद्वार की अध्यक्षता में दिनांक 14.10.2020 को समय प्रातः 11:00 बजे से मै0 श्री सुधीर कुमार विंडलास निवासी- 53, राजपुर रोड़, देहरादून द्वारा ग्राम बंजारावाला ग्रंट, तहसील-भगवानपुर, जिला-हरिद्वार में शुक्रो नदी क्षेत्र में प्रस्तावित आर0बी0एम0 माइनिंग प्रोजेक्ट (13.161 हैक्टयर एरिया) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का कार्यवृत्तः-

मै0 श्री सुधीर कुमार विंडलास, द्वारा ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन, 2006 यथासंशोधित के प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम बंजारावाला ग्रंट, तहसील-भगवानपुर, जिला-हरिद्वार में शुक्रो नदी क्षेत्र में प्रस्तावित आर0बी0एम0 माइनिंग प्रोजेक्ट (13.161 हैक्टयर एरिया) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का प्रस्ताव ड्राफ्ट ई0आई0ए0 रिपोर्ट के साथ उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रस्तुत किया गया।

बोर्ड मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के निर्देशानुसार, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार की अध्यक्षता एवं निम्नलिखित पैनल की उपस्थिति में दिनांक 14.10.2020 को प्राथमिक विद्यालय, ग्राम बंजारावाला ग्रंट, तहसील-भगवानपुर, जिला-हरिद्वार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोक सुनवाई का पैनल निम्नवत् है।

1. **श्री के0के0 मिश्र, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार,** **अध्यक्ष**
2. **श्री सुनील कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0),**
   उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूड़की। **संयोजक**

जन सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय का विवरण संलग्न है।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय से अनुमति प्राप्त कर क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही का विधिवत प्रारम्भ करते हुए परियोजना के तकनीकी सलाहकार श्री भुवन जोशी से परियोजना के प्रस्ताव एवं जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी पर्यावरणीय प्रबंधन योजना को जन समुदाय को विस्तार पूर्वक अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया। श्री जोशी द्वारा परियोजना के मूलयांकन तथा प्रबन्धन योजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

1. प्रस्तवित खनन/चुगान परियोजना के प्रस्तावक, प्रस्तावित स्थल, क्षेत्रफल एवं परियोजना के वार्षिक उत्पादन क्षमता एवं परियोजना में प्रस्तावित पर्यावरण प्रबंधन/सी0एस0आर0 बजट के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित परियोजना के खनन योजना/कार्य योजना के पूर्णतः मैन्युवल व वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा।
2. प्रस्तुतीकरण के समय प्रस्तावित खनन क्षेत्र के भोगोलिक विवरण, खनिज संपदा के रिर्जव, पर्यावरण मूल्यांकन प्रभाव रिपोर्ट में प्रदर्शित जल/वायु एवं ध्वनि के एकत्रित नमूनों के परिणामों के बारे में अवगत कराया गया।
3. खनन सामग्री में प्रयुक्त वाहनों के संचालन से उत्तपन ध्वनि/धूल की राकथाम हेतु वाहनों का उचित रख-रखाव, यातायात प्रबन्धन, वृक्षारोपण तथा धूलकणों की रोकथाम, हेतु कार्य स्थल एवं आवागमन में प्रयुक्त सड़को पर निरन्तर पानी का छिड़काव किया जायेगा। जल के प्रयोग एवं सीवेज निस्तारण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था के बारे में बताया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में उपस्थित जन समुदाय से उनके सुझाव एवं आपत्तियां बताने हेतु अनुरोध किया गया। अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जन समुदाय को क्षेत्र के पर्यावरण के सम्बन्ध में पड़ने वाले प्रभाव से सम्बन्धित प्रश्न/सुझावों को अवगत कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया। जन समुदाय द्वारा परियोजना के सन्दर्भ में प्रश्न/सुझाव एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है-

1. **श्री सतेन्द्र चौहान पुत्र श्री ईशम सिंह, ग्राम बंजारेवाला।**

(1) खनन हेतु प्रस्तावित नदी में खनन योग्य सामग्री उपलब्ध नही है। पूर्व में ही नदियों में 10-12 मी0 खनन किया जा चुका है। नदियों में सिल्ट नही है।

(2) वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अनुसार राजाजी पार्क से 10 कि0मी0 के अन्दर खनन कार्य नही किया जा सकता है। भू-जल का दोहन नही किया जा सकता है। नियमों को लचीला बनाने का कार्य शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है जिससे क्षेत्रीय किसानों का नुकसान होना निश्चित् है।

(3) दूसरे तरीकों से नदी से बाहर कृषि भूमि को नोटिफाईड कर सरकार द्वारा खनन कार्य कराया जाना चाहिये नदी में मैटेरीयल नही है। दोबारा सर्वे कराकर नये सिरे से प्रस्ताव सबकी सहमति से जनता की देख रेख में आंकलन किया जाना चाहिये। क्रेशर वालों ने बिना अनुमति के ट्यूबवैल लगा रखे है। बिना धूली हुई डस्ट का उत्पादन किया जाना चाहिये। गांव वालो को सम्मिलित करते हुए मानिटरिंग कमेटी बनाई जाये उसकी देख रेख में सबकुछ होना चाहिये।

2. **श्री पवन कुमार पुत्र श्री शयामलाल, निवासी बंजारेवाला।**
खनन से रोजगार प्राप्त होता है। क्षेत्र में गरीब जनता का भी ध्यान रखा जाये।

3. **श्री अब्बूल गफ्फार अंसारी,निवासी बंजारेवाला।**
बंजाराबाला क्षेत्र में रोजगार का अभाव है जिसके कारण स्थानीय जनता मजदूरी के लिए देहरादून जाते है। खनन होने से स्थानीय जनता को रोजगार प्राप्त होगा। शासन प्रशासन नियमों के अनुसार खनन कार्य होना चाहिये।

4. **श्री अम्बरीश कुमार पुत्र श्री हरीश कुमर निवासी बंजारेवाला।**
क्या प्रतिबन्धित क्षेत्र में उद्योग लगाने पर उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति अनिवार्य है। खनन करने से क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। नदियों में खनन सामग्री खतम है। पार्क की भूमि का कटाव होगा एवं जानवरों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। पूर्व में नदियों में खनन के सम्बन्ध में शिकायत की गयी थी जिसपर जुर्माने की कार्यवाही की गयी थी। मा0 न्यायालय में खनन बंद कराये जाने के सम्बन्ध में जनहित याचिका दायर की गयी थी। खनन से खेती पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

कार्यक्रम के अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार द्वारा जन समुदाय को अवगत कराया कि शासन से उद्योग की स्थापना की अनुमति के क्रम में ही लोक सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जन समुदाय से आग्रह किया कि प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में अपने चिंताए एवं सुझाव बताये।

परियोजना के तकनीकी सलाहकार द्वारा दिये गये प्रत्युत्तरः-
परियोजना से सम्बन्धित सभी आंकड़े यथा राजाजी नेशनल पार्क से परियोजना स्थल की दूरी 10 कि0मी0 भीतर होने के सम्बन्ध में ई0आइ0ए0 रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेखित है। तत्क्रम में नियमानुसार वाईल्ड लाईफ बोर्ड से अनुमति हेतु कार्यवाही गतिमान है।

5. **श्री प्रीतम सिंह राणा, निवासी बंजारेवाला।**
स्थानीय स्तर पर खनन कार्य नियमानुसार होने में कोई आपत्ति नही है।

6. **श्री सचिन कुमार तोमर पुत्र श्री रजेश कुमार तोमर, निवासी बंजारेवाला ।**
खनन कार्य से खेती पर विपरीत प्रभाव नही पड़ता है। प्रस्तावित परियोजना में स्थानीय स्कूलों में खेल सामग्री उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया।

7. **श्री मुकेश सैनी, ग्राम प्रधान, बंजारेवाला।**
खनन न होने से स्थानीय निवासीयों को मजदूरी हेतु देहरादून जाना होता है। नियम कानूनों से खनन कार्य किया जाना चाहिये।